



Neutral Citation No. 2026:AHC:64698

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन, संख्या – 49710 वर्ष 2025

देवेश रियल एस्टेट

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : दीवान सैफुल्लाह खान, शमा परवीन
विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन दिनांक 25.11.2021 के समन आदेश के साथ-साथ शिकायत मामले संख्या 28708 वर्ष 2021 (ललिता प्रसाद यादव बनाम देवेश रियल एस्टेट) की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन लालपुर/पांडेपुर, जिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वाराणसी के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 3, वाराणसी में लंबित है, जिसके माध्यम से आवेदक को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत विचारण का सामना करने के लिए समन किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पक्षों के बीच धन का विवाद है और विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दाखिल की है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि चूंकि धन के भुगतान को लेकर कुछ विवाद है, इसलिए सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से विवाद के निपटारे की अच्छी संभावना है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच.** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है, जो 2010 (5) एससीसी 663 में प्रकाशित हुआ है। प्रासंगिक अनुच्छेद 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम के विषय पर विधि सुधारों की दिशा में कुछ विचार - मामलों के हिमस्खलन से निपटना (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पृष्ठ 5 पर]:

अन्य प्रकार के अपराधों के विपरीत, यहाँ (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) दंड प्रतिशोध लेने का साधन नहीं है, बल्कि धन की वसूली सुनिश्चित करने का साधन है। शिकायतकर्ता का हित मुख्य रूप से चेक जारीकर्ता को जेल भेजने की बजाय धन की वसूली में निहित है। जेल की धमकी मात्र वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। जहाँ तक आरोपी के जेल जाने की इच्छा का सवाल है, चेक धारक के पास उपाय के रूप में बहुत कम विकल्प उपलब्ध हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यदि हम एक पक्ष के अंतिम निर्णय से पहले 'समझौते' या 'निपटान' दायर किए गए शिकायतों की संख्या और दूसरे पक्ष के उन मामलों की जांच करें जो निर्णय और दोषसिद्धि तक पहुंचें, तो हम पाएंगे कि अधिकांश मामले सुलझा लिए गए और केवल नगण्य संख्या में ही मामले आगे बढ़ें।

18. यह *बिल्कुल* स्पष्ट है कि चेक के अनादरण के अपराध के संबंध में, दंडात्मक पहलू की तुलना में क्षतिपूर्ति पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। *विद्वान महान्यायवादी* द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ हद तक समर्थन मिलता है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में समझौते या सुलह के माध्यम से निपटाए जा रहे हैं, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में, जिससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है। समस्या यह है कि वादी अपने विवाद को सुलझाने के साधन के रूप में देर से सुलह का विकल्प चुनते हैं।

19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, *विद्वान महान्यायवादी* का प्रस्तुति है कि वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में जैसे ही *मजिस्ट्रेट शिकायतों का संज्ञान लेता है* पक्षकार समझौता करने के बजाय अंतिम उपाय के रूप में समझौता करना चुन रहे हैं। इस तरह के व्यवहार का एक *स्पष्टीकरण* यह हो सकता है कि आरोपी व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुजरने का जोखिम उठाने को तैयार हैं और समझौता *का मार्ग* तभी चुनते हैं जब कोई अन्य रास्ता न बचे। हालांकि मुकदमेबाजों के दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार तर्कसंगत लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि समझौता करने में अनुचित देरी विभिन्न स्तरों पर अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाती है। यदि आरोपी मुकदमेबाजी के बाद के चरण में समझौता करने या अपराध का निपटारा करने को तैयार है, तो यह आमतौर पर शिकायतकर्ता के मामले में कुछ सच्चाई का संकेत है। ऐसे मामलों में यह वांछनीय होगा कि *यदि* पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में ही समझौता करना चुनें। हालांकि, यदि आरोपी के पास गलती, जालसाजी या जबरदस्ती जैसे वैध बचाव हैं, तो मामले को निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. अधिवक्ता के अनुरोध पर, यह निर्देश दिया जाता है कि आरोपी आज से एक महीने के अवधि के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और समझौता करके अपराध का निपटारा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करे तथा चेक की राशि का 10% जमा करे। ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित न्यायालय इस संबंध में कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगा और आरोपी को इस दिशा में प्रयास करने के लिए आज से अधिकतम चार महीने की अवधि तक का अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। इसके बाद, न्यायालय दामोदर एस. प्रभु (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए आज से पांच महीने की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के निपटारे के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसे उपस्थित होना और विचारण का सामना करना आवश्यक है और न्यायालय को आरोपी के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करने और कानून द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम और उपाय करने की स्वतंत्रता होगी ताकि उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

7. उपर्युक्त पांच महीने की अवधि में या आवेदन के आलोक में दिए गए निर्णय तक, जो भी पहले हो, आरोपी के खिलाफ कोई भी दंडात्मक उपाय नहीं अपनाया जाएगा।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस आरोपी के संबंध में पारित किया गया है जिसकी ओर से धारा 528 बीएनएसएस के तहत यह आवेदन इस न्यायालय में दायर किया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर इस आवेदन का निपटारा किया जाता है।

28 मार्च, 2026

नितिन वर्मा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”